अनवाद:- प्रेमलाल बनाम रामलाल की आदि
अ.प्रति धारा:- 04 R S.C.R, एक प्रकरण = 15/19

24/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर का निरस्त हो चुका है प्रार्थिका पक्ष की कोई कार्यवाही करना नहीं है प्रार्थिका पक्ष को जारी दिनांक 18/09/2019 का स्थायी आदेश वसीस्त पर स्थापित किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर